क्रम-संख्या—581

रजि० सं० एल. डब्ल्यू./एन. पी. 901
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1675/सत्रह-वि-1-1(क)29/1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पर दिनांक 24 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारत सरकार या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित लाटरियों के सिवाय उत्तर प्रदेश में समस्त लाटरियों के संप्रवर्तन और संचालन को प्रतिषिद्ध करने के लिए और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषा

2--इस अधिनियम में,--

(क) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के निदेशक से है ;

(ख) "लाटरी" का तात्पर्य टिकट खरीद कर किसी पुरस्कार की संभावना में भाग लेने वाले व्यक्तियों को लाट या संयोग द्वारा पुरस्कारों के वितरण के लिये किसी योजना से है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राज्य लाटरी या पुरस्कार प्रतियोगिता नहीं है ;

(ग) "धन" के अन्तर्गत कोई चेक या कोई अन्य परक्राम्य लिखत, पोस्टल आर्डर या कोई मनीआर्डर भी है ;

(घ) "पुरस्कार प्रतियोगिता" का तात्पर्य पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 के अर्थान्तर्गत पुरस्कार प्रतियोगिता से है ;

(ङ) "राज्य लाटरी" का तात्पर्य भारत सरकार या भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य को या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित और संचालित लाटरी से है ;

(च) "टिकट" के अन्तर्गत किसी लाटरी की सम्भावना में भाग लेने के लिये किसी व्यक्ति के दावे को प्रकट करने वाला कोई दस्तावेज भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत वस्तुओं के किसी क्रेता को ऐसी वस्तुओं के मूल्य के नकद भुगतान के लिये जारी किया गया कोई कैश मेमो नहीं है।

लाटरियों के संप्रवर्तन का और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही का प्रतिषेध

3--(1) कोई व्यक्ति--

(क) किसी लाटरी का संप्रवर्तन या उसका संचालन नहीं करेगा; या

(ख) किसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक, रंग या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या आकस्मिकता पर किसी व्यक्ति के लाभ के लिये किसी धनराशि का भुगतान करने की या कोई माल देने की या कोई कार्य करने या उससे प्रवरित रहने की प्रस्थापना नहीं करेगा; या

(ग) किसी लाटरी में प्रयोग के लिये कोई टिकट मुद्रित नहीं करेगा ; या

(घ) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग को न तो बेचेगा न उसका वितरण करेगा, न बिक्री या वितरण के लिये प्रस्थापना करेगा, न विज्ञापन करेगा और न बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा ; या

(ङ) निम्नलिखित को न मुद्रित करेगा, न प्रकाशित करेगा, न वितरित करेगा और न प्रकाशन या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा--

(एक) किसी लाटरी का कोई विज्ञापन; या

(दो) किसी लाटरी में पुरस्कार विजेताओं या जीते हुये टिकटों की कोई सूची (चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण) ; या

(तीन) किसी लाटरी के निकालने या निकालने के आशय को प्रकट करने वाली या अन्यथा, किसी लाटरी से संबंधित कोई ऐसी सामग्री जो कि व्यक्तियों को किसी लाटरी में भाग लेने के लिये उत्प्रेरित करने के लिये प्रकल्पित हो ; या

(च) बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये कोई टिकट या किसी लाटरी का विज्ञापन राज्य के भीतर नहीं लायेगा न राज्य के भीतर भेजने के लिये किसी व्यक्ति को निवेदन करेगा; या

(छ) निम्नलिखित को राज्य के बाहर न भेजेगा और न भेजने का प्रयास करेगा--

(एक) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण के संबंध में प्राप्त कोई धन या मूल्यवान वस्तु ; या

(दो) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण को अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज ; या

(तीन) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग के धारक की पहचान को अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज; या

(ज) किसी लाटरी के संप्रवर्तन या संचालन से संबंधित प्रयोजनों के लिये किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा और न किसी परिसर का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा।

शास्ति

4—जो कोई धारा 3 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

5—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का भारसाधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दंडित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दण्डित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

जुर्माने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट की विशेष शक्ति

6—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने का दण्ड देना विधि पूर्ण होगा।

तलाशी और अभिग्रहण

7—(1) निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी सहायता से जैसी आवश्यक हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के संबंध में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये संदिग्ध किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन ली गई किसी तलाशी के परिणामस्वरूप कोई वस्तु पाई जाय और तलाशी लेने वाले अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी वस्तु इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है, वह वहां ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है।

(3) तलाशियों और अभिग्रहणों से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

(4) निदेशक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक कहा जायेगा।

कतिपय मामलों में लाटरी का संचालन करने की अनुज्ञा

8—राज्य सरकार लोकहित में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जैसी वह आरोपित करे, पूर्त प्रयोजनों के लिये या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिये स्थापित किसी निकाय या संगठन को लाटरी का संचालन कराने की अनुज्ञा दे सकती है।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

9—राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

10—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसे नियमों का कोई उल्लंघन पांच हजार रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि से, जो ऐसे नियमों में निर्धारित की जाय, जुर्माने से दण्डनीय होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क का निकाला जाना

11—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क निकाल दी जायगी।

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 1675 (2)/XVII-V-1–1 (KA) 29/1995

Dated Lucknow, August 25, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Apradhikrit Lottery (Niwaran) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24, of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 24, 1995.

THE UTTAR PRADESH UNAUTHORISED LOTTERY (PREVENTION) ACT, 1995

(U. P. Act No. 24 of 1995)

[(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)]

AN

ACT

to prohibit the promotion and conduct of all lotteries except lotteries organised by the Government of India or the Government of a State or of a Union Territory in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or ancillary thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Unauthorised Lottery (Prevention) Act, 1995.

[(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definition

2. In this Act—

(*a*) 'Director' means the Director of Uttar Pradesh State Lotteries appointed as such by the State Government;

(*b*) 'Lottery' means a scheme for distribution of prizes by lot or chance to persons participating in the chance of a prize by purchasing tickets but does not include a State Lottery or a prize competition;

(c) 'money' includes a cheque or any other negotiable instrument, a postal order, or a money order;

(d) 'prize competition' means a prize competition within the meaning of the Prize Competitions Act, 1955;

(e) 'State Lottery' means a lottery organised and conducted by the Government of India or the Government of any State or of a Union Territory specified in the First Schedule to the Constitution of India;

(f) 'ticket' includes, any document evidencing the claim of a person to participate in the chances of a lottery but does not include any cash memo issued to a purchaser of commodities for payment in cash of the prize of such commodities.

3. No person shall— Prohibition of promotion and other action in connection with lotteries

(a) promote or conduct any lottery, or

(b) offer to pay any sum, or to deliver any goods, or to do or forbear from doing anything for the benefit of any person on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket, lot, number, colour, or figure in any lottery; or

(c) print any ticket for use in any lottery; or

(d) sell or distribute, or offer or advertise for sale or distribution, or have in his possession for the purpose of sale or distribution, any ticket or chance in any lottery; or

(e) print, publish or distribute, or have in his possession for the purpose of publication or distribution—

(i) any advertisement of a lottery; or

(ii) any list (whether complete or not) of prize winners or winning tickets in any lottery; or

(iii) any such matter descriptive of the drawing or intended drawing of any lottery, or otherwise relating to any lottery, as is calculated to act as an inducement to persons to participate in any lottery; or

(f) bring, or invite any person to send, into the State, for the purpose of sale or distribution any ticket, or advertisement of any lottery; or

(g) send or attempt to send out of the State,—

(i) any money or valuable thing received in respect of the sale or distribution of any ticket or chance in any lottery; or

(ii) any document recording the sale or distribution of any ticket or chance in any lottery; or

(iii) any document recording the identity of the holder of any ticket or chance in any lottery; or

(h) use any premises or permit any premises to be used, for purposes connected with the promotion or conduct of any lottery.

4. Whoever contravenes any of the provisions of section 3 shall be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three years or with both. Penalty

5. (1) If the person committing an offence punishable under this Act, is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly : Offences by companies

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence punishable under this Act has been comitted by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty

ofthat offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purpose of this section—

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Special power of Magistrate regarding fine.

6. Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973, it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person punishable under section 4.

Search and seizure

7. (1) The Director or any other officer authorised by the State Government in this behalf may, with such assistance as may be necessary, enter and search any place used or suspected to be used in connection with the commission of any offence punishable under this Act.

(2) Whereas a result of any search made under sub-section (1) anything is found and the officer making the search has reason to believe that such thing is connected with any offence punishable under this Act, he may seize such thing.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to searches and seizures shall, so far as may be, apply to every search or seizure made under this section.

(4) The Director or other officer referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penel Code.

Permission to conduct lottery in certain cases.

8. The State Government may, in public interest, by notification, and subject to such conditions and restrictions as it may impose, permit any body or organisation established for charitable purposes or for the purpose of promoting public welfare to conduct a lottery.

Protection of action taken in good faith

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person in respect of anything which is, in good faith done, or intended to be done, in pursuance of this Act or rules made thereunder.

Power to make rules

10. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) The rules framed under sub-section (1) may provide that any breach of such rules shall be punishable with fine of an amount not exceeding five thousand rupees as may be fixed in such rules.

Omission of section 294-A of I.P.C.

11. Section 294-A of the Indian Penel Code shall be *omitted*.

Repeal aed savings

12. (1) The Uttar Pradesh Unauthorised Lottery (Prevention) Ordinance, 1995 is hereby repealed. U. P. Ordinance No. 2[illegible] 1995

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG,

Pramukh Sachiv.

पी॰एस॰यू॰पी॰—ए॰पी॰ 2049 राजपत्र (हि॰)—(2809)—1995—1022 (मैक॰)